

कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।
प्रार्थी सर्वश्री पवन इन्टरप्राइजेज, 77 / 2, हालसी रोड, कानपुर ।
प्रार्थना पत्र संख्या व 045 / 14, 23.09.2014
दिनांक
प्रार्थी की ओर से श्री नरेन्द्र शर्मा, विद्वान अधिवक्ता ।

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

प्रार्थी पवन इन्टरप्राइजेज, 77 / 2, हालसी रोड, कानपुर द्वारा दिनांक 23.09.2014 को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें इनके द्वारा आयरन और स्टील निर्माताओं से Auction में बेचे जाने वाले उत्पाद की खरीद / बिक्री के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निम्नलिखित बिन्दुओं पर विनिश्चय किये जाने का निवेदन किया गया है :-

1. आयरन और स्टील निर्माताओं द्वारा आयरन स्कैप के रूप में Auction में बेचे जाने वाले उत्पाद जिनका विवरण याचिका के अनुलग्नक-1 पर उपलब्ध है, के प्रदेश में आयात कर, लोकल एरिया के बाहर से, स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश पर और पुनः प्रदेश में बेचने पर भिन्न स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश पर, The Uttar Pradesh Entry of Goods Into Local Areas Act, 2007 के अन्तर्गत प्रवेश कर देयता की स्थिति एवं कर की दर के विनिश्चय किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

2. आयरन एवं स्टील निर्माता कम्पनियों द्वारा Auction में बेचे जाने वाले Iron scrap की टैक्स या सेल इनवायस पर यदि Iron / Steel / Iron and Steel scrap मुख्य शीर्षक तथा उपशीर्षक में Iron / Steel के किसी माल का विवरण दर्ज है तो विज्ञप्ति संख्या-No.-KA.NI.-2-1071 / XI-9 (1) / 08-U.P. Act-30-2007 Order-(85)-2012 dated : October 10, 2012 के अन्तर्गत आयेगी और उस पर प्रवेश कर देयता के विनिश्चय का भी अनुरोध किया गया है ।

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु श्री नरेन्द्र शर्मा, विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए, उनके द्वारा प्रार्थना-पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कहा गया कि उनके द्वारा आयरन एण्ड स्टील निर्माता कम्पनियों से On line नीलामी में स्कैप की खरीद की जाती है । यह भी कहा गया कि प्रवेश कर अधिनियम के अन्तर्गत जारी विज्ञप्ति संख्या-1071, दिनांक 10.10.2012 द्वारा आयरन एण्ड स्टील पर प्रवेश कर की देयता निर्धारित की गयी है, किन्तु इसमें से आयरन स्कैप को हटा दिया गया है । उनके द्वारा यह भी कहा गया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Valji Khimji and Company Vs. Official Liquidator of Hindustan Nitro Product (Gujarat) Ltd. and others (2008) 9 SCC 299 में स्कैप शब्द को परिभाषित किया गया है और इसमें कहा गया है कि स्कैप वह वस्तु होती है जिसे repairing के बाद भी उसी रूप में प्रयोग न किया जा सके । इस सम्बन्ध में उनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के निर्णय The Commissioner, Commercial Tax vs. M/S Kansal Industries, (TTR(D) 378 of 2013 एवं M/s. Prince Industries vs. Commissioner, Commercial Tax (2012) 49 NTN 91 भी सन्दर्भित किये गये जिसमें कहा गया है कि कोई material waste material है या नहीं इसका निर्धारण केवल इस आधार पर किया जा सकता है कि इस वस्तु का व्यापार करने वाले व्यापारी समूह इसे क्या

सर्वश्री पवन इन्टरप्राइजेज / प्रा0 पत्र सं0-045 / 14 / धारा-59 / पृष्ठ-2

मानते हैं। उनके द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय State of Tamil Nadu Vs. Mahi Traders and Others (1989) 73 STC पेज 228 (SC) भी सन्दर्भित किया गया जिसमें Hides and Skins के सम्बन्ध में विचार किया गया है। इसके अतिरिक्त आयकर अधिनियम, 1961 का भी सन्दर्भ दिया गया जिसमें Scrap और waste की नीलामी के सन्दर्भ में आयकर की कटौती की जाती है तथा Indian Standards Bureau के अन्तर्गत जारी इस्पात मन्त्रालय की विज्ञप्ति संख्या-370, दिनांक 14.03.2012 भी सन्दर्भित की गयी जिसमें कहा गया कि sub-standard या defective steel या sheet products का निस्तारण स्कैप के रूप में किया जायेगा।

उक्त सन्दर्भित निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थी द्वारा कामन एण्ड ट्रेड पारलेन्स टेस्ट के सिद्धान्त पर विशेष बल दिया गया और यह कहा गया कि इस व्यवसाय से जुड़े व्यापारी इन वस्तुओं को स्कैप के रूप में ही जानते हैं। इस सम्बन्ध में उनके द्वारा टाटा स्टील लिमिटेड, जमशेदपुर, टाटा स्टील लिमिटेड, कानपुर, स्टील अथार्टी ऑफ इण्डिया लिमिटेड, बोकारो, राउरकेला एवं कानपुर के बिल के साथ-साथ Auction कैटेलाग की प्रतियाँ भी दाखिल की गयीं। कानपुर के विभिन्न व्यापारियों द्वारा जारी बिल एवं उनसे यह लिखवाकर दाखिल किया गया कि वह सन्दर्भित माल को किस श्रेणी में मानते हैं। अधिकांश व्यापारियों ने इसे रिजेक्टेड स्कैप आयरन शीट के रूप में अंकित किया है। सुनवाई के समय खरीदे गये माल के फोटोज दाखिल किये गये तथा कुछ नमूने भी प्रस्तुत किये गये। अन्त में अनुरोध किया गया कि सन्दर्भित वस्तुओं को आयरन स्कैप मानते हुए निर्णय दिया जाय।

3. उपरोक्त संदर्भ में एडीशनल कमिशनर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, कानपुर जून-द्वितीय, कानपुर द्वारा पत्र संख्या-1002, दिनांक 18.11.2014 से प्रेषित आख्या में कहा गया है कि प्रश्नगत प्रकरण में विवाद रिजेक्टेड शीट को आयरन स्कैप मानकर प्रवेश कर की देयता की स्थिति के सम्बन्ध में है। धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में दिये गये विभिन्न निर्णय स्कैप शब्द की परिभाषा से सम्बन्धित हैं, डिफेक्टेड एवं रिजेक्टेड आयरन शीट, स्कैप की परिभाषा से आच्छादित नहीं हैं क्योंकि इसका प्रयोग पुनः उसी रूप में किया जा सकता है। इस सन्दर्भ में बनारस आयरन स्कैप मर्चेन्ट एसोसियेशन बनाम कमिशनर ऑफ सेल्स टैक्स 1978 यूपीटीसी पेज 632 के निर्णय का भी सन्दर्भ दिया गया। यह भी कहा गया कि टाटा एवं स्टील अथार्टी ऑफ इण्डिया द्वारा अपने बिक्री के बिलों में रिजेक्टेड या डिफेक्टेड एच0आर0, जी0पी0 शीट आदि का उल्लेख करते हुए माल की बिक्री की गयी है। केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम, 1956 की धारा-14 में आयरन एण्ड स्टील एक घोषित वस्तु है जिसके क्रमांक-i पर आयरन स्कैप अंकित है तथा डिफेक्टिव एवं रिजेक्टेड कटिंग्स एवं पीसेस का उल्लेख क्रमांक-XVI में किया गया है। इस प्रकार इस परिभाषा में भी दोनों वस्तुएं भिन्न हैं। प्रवेश कर अधिनियम के अन्तर्गत जारी विज्ञप्ति में क्रमांक-i पर अंकित आयरन स्कैप को इक्सक्लूड किया गया है, किन्तु डिफेक्टिव एवं रिजेक्टेड कटिंग्स एवं पीसेस को इक्सक्लूड नहीं किया गया है। व्यापारियों द्वारा खरीदा एवं बेचा गया माल डिफेक्टिव एवं रिजेक्टेड एच0आर0, जी0पी0 शीट आदि है, तथा विज्ञप्ति संख्या-1071, दिनांक 10.10.2012 से आच्छादित न होने के कारण प्रवेश कर की देयता है।

4. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा कहा गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी द्वारा आयरन एण्ड स्टील शीट के रिजेक्टेड एवं डिफेक्टिव पीसेस को आयरन स्कैप कहा जा रहा है। केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम, 1956 की धारा-14 में दी गयी आयरन एवं स्टील की परिभाषा में स्कैप तथा रिजेक्टेड एवं डिफेक्टिव पीसेस को अलग-

सर्वश्री पवन इन्टरप्राइजेज / प्रा0 पत्र सं0-045 / 14 / धारा-59 / पृष्ठ-3

अलग परिभाषित किया गया है। प्रार्थी द्वारा जो भी निर्णय प्रस्तुत किये गये हैं वह स्क्रेप की परिभाषा से सम्बन्धित हैं। माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा बनारस आयरन स्क्रेप मर्चेन्ट एसोसियेशन बनाम कमिश्नर ऑफ सेल्स टैक्स 1978 यूपीटीसी पेज 632 में डिफेक्टिव वस्तुओं एवं स्क्रेप दोनों को अलग-अलग माना है। इसी भाँति माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा चीप हार्डवेयर स्टोर्स बनाम कमिश्नर सेल्स टैक्स 1982 यूपीटीसी पेज-201 में केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम, 1956 की धारा-14 में दी गयी आयरन एण्ड स्टील की परिभाषा पर विचार करते हुए यह निर्णय दिया गया है कि डिफेक्टिव और रिजेक्टेड वस्तुएं तथा स्क्रेप दोनों ही अलग-अलग वस्तुएं हैं। डिफेक्टिव का तात्पर्य ऐसी वस्तुओं से होता है जो sub-standard हों जबकि स्क्रेप का तात्पर्य ऐसी वस्तुओं से होता है जो उसी रूप में प्रयोग में न आ सकती हों। प्रार्थी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णयों को अपने वाद में लागू नहीं माना गया है, किन्तु इसका कोई आधार नहीं दिया गया है। प्रार्थी ने विभिन्न व्यापारियों के शपथ-पत्र अपने कथन के समर्थन में दखिल किया है, जिसके अवलोकन पर पाया गया कि विभिन्न व्यापारी जैसे-स्टील एजेन्सी, कानपुर, रतन चन्द परमानन्द, कानपुर, नैनूमल हाट चन्द, कानपुर आदि के द्वारा इन वस्तुओं को रिजेक्टेड एवं स्क्रेप जी0पी0 शीट, एच0आर0 शीट आदि माना है और बिलों में इसी भाँति अंकित किये हैं। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत विवरण के अनुसार ही सन्दर्भित वस्तुओं को रिजेक्टेड आयरन एण्ड स्टील शीट माना गया है। प्रार्थी द्वारा सन्दर्भित वस्तुओं के फोटोज एवं नमूने प्रस्तुत किये गये हैं उनके अवलोकन से भी सन्दर्भित वस्तुएं शीट कटिंग की श्रेणी में आती हैं। उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में दी गयी वस्तुएं केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम, 1956 की धारा-14 में यथा परिभाषित आयरन एण्ड स्टील के क्रमांक-xvi पर अंकित defectives, rejects, cuttings or end pieces of any of the above categories; की श्रेणी में आते हैं और इस पर नियमानुसार कर की देयता होनी चाहिए।

5. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में अंकित तथ्यों, प्रस्तुत साक्ष्यों एवं मामले से सुसंगत विधिक प्राविधानों का परिशीलन किया गया तथा प्रस्तुत फोटोज व नमूने का अवलोकन किया गया। विचारोपरान्त पाया गया कि प्रवेश कर अधिनियम के अन्तर्गत जारी विज्ञप्ति संख्या-1071, दिनांक 10.10.2012 द्वारा आयरन स्टील पर प्रवेश कर की देयता हेतु निम्न प्रविष्टि अंकित की गयी है :-

Sl. NO.	Description of goods	Rate of Tax
1	2	3
14	Iron and Steel as defined in section 14 of the Central Sales Tax Act, 1956 excluding following goods :- (i) pig iron, sponge iron and caste iron including ingot moulds, bottom plates, iron scrap, caste iron scrap, runner scrap and iron skull scrap; (ii) steel semis (ingots, slabs, blooms and billets of all qualities, shapes and sizes); (iii) steel melting scrap in all forms including steel skull, turnings and borings; (iv) wire rods and wires-rolled, drawn, galvanized, aluminised, tinned or coated such as by copper; (v) hot rolled coil .	

सर्वश्री पवन इन्टरप्राइजेज / प्रा0 पत्र सं0-045 / 14 / धारा-59 / पृष्ठ-4

उपरोक्त से स्पष्ट है कि प्रवेश कर की देयता के निर्धारण हेतु केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम, 1956 की धारा-14 के अन्तर्गत परिभाषित आयरन स्टील की प्रविष्टि निम्न भाँति है :-

- (i) pig iron, sponge iron and caste iron including ingot moulds, bottom plates, iron scrap, caste iron scrap, runner scrap and iron skull scrap;
- (ii) steel semis (ingots, slabs, blooms and billets of all qualities, shapes and sizes);
- (iii) skelp bars, tin bars, sheet bars, hoe-bars and sleeper bars;
- (iv) steel bars (rounds, rods, squares, flats, octagons and hexagons, plain and ribbed or twisted, in coil form as well as straight lengths);
- (v) steel structurals (angels, joists, channels, tees, sheet piling sections, Z sections or any other rolled sections);
- (vi) sheets, hoops, strips and skelp, both black and galvanized, hot and cold rolled, plain and corrugated, in all qualities, in straight lengths and in coil form, as rolled and in rivetted condition;
- (vii) plates both plain and chequered in all qualities,
- (viii) discs, rings, forgings and steel castings;
- (ix) tool, alloy and special steels of any of the above categories;
- (x) steel melting scrap in all forms including steel skull, turnings and borings;
- (xi) steel tubes, both welded and seamless, of all diameters and length, including tube fittings;
- (xii) tin-plates, both hot dipped and electrolytic and tin free plates;
- (xiii) fish plates bars, bearing plate bars, crossing sleeper bars, fish plates, bearing plates, crossing sleepers and pressed steel sleepers, rails heavy and light crane rails;
- (xiv) wheels, tyres, axles and wheel sets;
- (xv) wire rods and wires-rolled, drawn, galvanized, aluminised, tinned or coated such as by copper;
- (xvi) defectives, rejects, cuttings or end pieces of any of the above categories;

उपरोक्त के क्रमांक-i, ii, x, xv तथा hot rolled coil को छोड़कर अन्य सभी वस्तुओं पर प्रवेश कर की देयता है, जबकि प्रार्थी द्वारा घोषित वस्तु उक्त क्रमांक-i, ii, x, xv से आच्छादित न होकर क्रमांक-(xvi) से आच्छादित होने के कारण प्रवेश कर योग्य है। प्रार्थी द्वारा सन्दर्भित वस्तुओं को आयरन स्क्रेप की श्रेणी में माना जा रहा है और इन्हें डिफेक्टिव, रिजेक्टेड कटिंग या end pieces की श्रेणी में नहीं माना जा रहा है।

अपने कथन के समर्थन में प्रार्थी द्वारा विभिन्न निर्णय सन्दर्भित किये गये हैं। सर्वप्रथम Valji Khimji and Company Vs. Official Liquidator of Hindustan Nitro Product (Gujarat) Ltd. and others (2008) 9 SCC 299 का निर्णय सन्दर्भित किया गया है। इस निर्णय में Official Liquidator द्वारा Hindustan Nitro Product (Gujarat) Ltd. की परिसम्पत्तियों की नीलामी का प्रकरण निहित था जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया था कि बेची गयी वस्तुएं स्क्रेप नहीं हैं क्योंकि सामान्यतः स्क्रेप उन्हें माना जाता है जो उस

सर्वश्री पवन इन्टरप्राइजेज / प्रा0 पत्र सं0-045 / 14 / धारा-59 / पृष्ठ-5

उद्देश्य के लिए प्रयोग न हो सके जिसके लिए पूर्व में उन्हें प्रयोग किया जाता था। इस निर्णय में आयरन शीट कटिंग के स्कैप होने या न होने के बिन्दु पर कोई अभिमत व्यक्त नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त आयरन शीट कटिंग का प्रयोग भी उसी भाँति हो सकता है जिस भाँति आयरन शीट का होता है। अतः यह निर्णय प्रार्थी के वाद में लागू नहीं है। दूसरा निर्णय The Commissioner, Commercial Tax vs. M/S Kansal Industries, (TTR(D) 378 of 2013 का प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकरण में ट्रकों की पुरानी कमानी की खरीद पर प्रवेश कर की देयता का बिन्दु निहित था। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 19.11.2013 में यह निर्णय दिया गया है कि क्रेताओं द्वारा पुरानी टूटी-फूटी कमानी की खरीद की गयी थी जो पुनः कमानी के रूप में प्रयोग योग्य नहीं थी और इस आधार पर माननीय उच्च न्यायालय ने पुरानी टूटी-फूटी कमानी को आयरन स्कैप की श्रेणी में माना है। अतः यह निर्णय भी प्रार्थी के वाद में लागू नहीं होता है। उपरोक्त के अतिरिक्त प्रार्थी द्वारा State of Tamil Nadu Vs. Mahi Traders and Others (1989) 73 STC पेज 228 (SC) का भी सन्दर्भ दिया गया है। इस निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने Hides and Skins के cut pieces के सन्दर्भ में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के द्वारा इसे स्कैप माने जाने के अभिमत को अस्वीकार किया गया है। Leather splits के सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिये गये निर्णय के निम्न अंश को प्रकरण से समवेत होने के कारण उद्धृत किया जाना प्रासंगिक है :-

We have heard learned counsel on both sides at length and come to the conclusion that the assesseees are entitled to the benefit of sections 14 and 15 of the CST Act in respect of the two items in question. As far as the first item is concerned, it is common ground that leather splits are nothing but cut pieces of hides and skins. We fail to see how they cease to be hides and skins. It is no doubt true that they are cheaper and have a separate name but the name, only indicates that they are cut pieces. It is not because they have ceased to be hides and skins and constitute a different commercial commodity that they are called “ scraps ”. Some of the dealers purchase and sell such splits and such turnover is considerable. There is no material to suggest that they are useless or worthless articles. A loose description of them as “ scrap ” cannot deprive them of the benefit of section 14 of the Act.

उक्त Observations से स्पष्ट है कि किसी भी वस्तु की कटपीस यदि useless या worthless नहीं है तो वह स्कैप की श्रेणी में नहीं आयेंगे। प्रार्थी द्वारा खरीदे एवं बेचे गये आयरन शीट के कटपीस useless या worthless नहीं हैं। इस निर्णय के प्रकाश में भी उनके द्वारा खरीदे गये आयरन शीट कटिंग स्कैप की श्रेणी में नहीं माने जा सकते हैं। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष में सन्दर्भित किये गये उक्त न्याय दृष्टान्त प्रार्थी के प्रतिकूल सिद्ध होते हैं।

प्रार्थी द्वारा M/s. Prince Industries vs. Commissioner, Commercial Tax (2012) 49 NTN 91 का भी सन्दर्भ प्रस्तुत किया गया। इस वाद में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रेल लाइन स्कैप पर प्रवेश कर की देयता का बिन्दु निहित था। इस निर्णय में माननीय उच्च न्यायालय ने यह कहा है कि स्कैप एवं defective व rejected मैटेरियल दोनों ही भिन्न वस्तुएं हैं। कोई वस्तु स्कैप या waste मैटेरियल के रूप में जानी जायेगी अथवा defective या rejected material के रूप में जानी जायेगी इसकी जाँच इसी आधार पर की जा सकती है

सर्वश्री पवन इन्टरप्राइजेज / प्रा० पत्र सं०-045 / 14 / धारा-59 / पृष्ठ-6

कि विक्रेता ने इसे किस रूप में बेचा है। माननीय उच्च न्यायालय ने इस वाद को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि इसमें यह जाँच कर ली जाये कि इस मैटिरियल के प्रथम विक्रेता रेलवे विभाग ने इसे किस रूप में बेचा है। इस सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के निम्न प्रस्तर महत्वपूर्ण है :-

It is therefore, clear that anything which has been rendered useless and worn out or is a waste would be a scrap and it is different from material which is defective or rejected but the real test to distinguish between the two would only be by ascertaining the nature of the material in the hands of the party selling it i.e. the railways in the present case.

माननीय उच्च न्यायालय के इस निर्णय के परिप्रेक्ष्य में यदि विचार किया जाये तो यह स्पष्ट हाता है कि प्रार्थी द्वारा इन वस्तुओं की खरीद टाटा स्टील लिमिटेड, स्टील अथार्टी ऑफ इण्डिया लिमिटेड, भूषण स्ट्रिप आदि से की गयी है। प्रार्थी ने टाटा स्टील लिमिटेड तथा स्टील अथार्टी ऑफ इण्डिया लिमिटेड के बिल तथा टाटा स्टील लिमिटेड का एक Auction कैटेलाग दाखिल किया है। Auction कैटेलाग में टाटा स्टील लिमिटेड ने सेल ऑफ सेकेन्ड्री प्रोडक्ट मैटिरियल ऑफ टाटा स्टील / शीट कटिंग लिखा है। प्रार्थी द्वारा विभिन्न व्यापारियों के जो शपथ-पत्र दाखिल किये गये हैं उनमें भी उन्होंने इन वस्तुओं को रिजेक्टेड शीट कटिंग ही लिखा है। वस्तुतः निर्माताओं द्वारा निर्माण की प्रक्रिया के दौरान जो sub-standard माल निकलता है जो शीट कटिंग निकलती है उसे नीलामी में बेचा जाता है इसे वे अपने बिलों में रिजेक्टेड शीट या शीट कटिंग अंकित करते हैं। टाटा स्टील लिमिटेड के Auction कैटेलाग से भी स्पष्ट है कि यह वस्तुएं शीट कटिंग या सेकेन्ड्री प्रोडक्ट हैं। इस प्रकार माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में जाँच करने पर यह पाया गया कि इस माल के विक्रेताओं द्वारा सन्दर्भित माल को defective, rejected, cutting या end pieces के रूप में बेचा जाता है न कि स्कैप के रूप में।

उपरोक्त के अतिरिक्त माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निम्न निर्णयों के सन्दर्भ का उद्धरण भी समीचीन है :-

Banaras Iron Scrap Merchants Association v. Commissioner of Sales Tax, 1978 UPTC 632, decided on 12.7.1978 by Allahabad High Court.

The question that now remains for consideration is as to wheather these defective items are iron scrap or steel scrap. The Judge (Revisions) Sales Tax has found that the assessee. apart from showing that these goods were defective did not lead any evidence to show the extent of the defect in these commodities. The mere fact that particular goods are defective would not convert them into scrap. The word ‘ Scrap ’ in common parlance contemplates old and broken articles not fit for use as such. In the absence of any evidence regarding the nature of the defect in these commodities. it is not possible to hold that they fall within the category of ‘ Iron scrap and steel scrap ’

Cheap Hardware Store v. Commissioner of Sales Tax, 1982 UPTC 201, decided on 24.12.1981 by Allahabad High Court.

scrap, according to dictionary means, ‘ waste ’, anything discarded, ‘ worn out ’, ‘ dead ’ or

सर्वश्री पवन इन्टरप्राइजेज / प्रा0 पत्र सं0-045 / 14 / धारा-59 / पृष्ठ-7

‘ useless ’. In commercial or popular sense also scrap appears to be understood in the sense of waste or the thing being of no use. It can not be equated with ‘ defectives, rejects, cuttings or end pieces ’ mentioned in clause (xvi) of section 14.

मेरे द्वारा नमूने और फोटो के अवलोकन पर यह पाया गया कि सन्दर्भित वस्तुएं आयरन शीट के defective pieces या cutting हैं। यह useles या पुरानी या टूटी-फूटी चीजें नहीं हैं। निर्माण की प्रक्रिया के दौरान जो defective, rejected या cutting या end pieces निकलते हैं उन्हें स्कैप की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। विक्रेताओं के बिलों पर भी इन्हें rejected CR या HR शीट लिखा गया है। इनका प्रयोग नई शीट की भाँति ही हो सकता है। अतः सन्दर्भित वस्तुएं आयरन स्कैप की श्रेणी में न आकर केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम, 1956 की धारा-14 में यथा परिभाषित आयरन एण्ड स्टील के क्रमांक-xvi पर अंकित निम्न प्रविष्टि के अन्तर्गत आयेंगे :-

defectives, rejects, cuttings or end pieces of any of the above categories;

उपरोक्तानुसार इन पर प्रवेश कर की देयता नियमानुसार रहेगी।

प्रार्थी द्वारा अन्यथा रूप से पूछे गये प्रश्न संख्या-2 का विनिश्चय भी तदनुसार उपरोक्त तथ्यों के आलोक में किया जाता है। टैक्स या सेल इनवायस पर अंकित वस्तु पर उस माल की प्रकृति के अनुरूप करदेयता का निर्धारण होता है। प्रश्नगत प्रकरण में उपरोक्तानुसार Defective, Rejected या Cutting या end Pieces पर प्रवेश कर की देयता रहेगी।

6. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

7. उक्त निर्णय की एक प्रति प्रार्थी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित की जाय।

दिनांक 05 जनवरी, 2015

ह0 / 05.01.2015

(मृत्युंजय कुमार नारायण)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।